"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 मार्च 2011—चैत्र 9, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 30 मार्च, 2011 (चैत्र 9, 1933)

क्रमांक-4784/वि. स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 13 सन् 2011), जो दिनांक 30 मार्च, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 13 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 6-क का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 6-क की उपधारा (1) में शब्द "दस हजार" के स्थान पर शब्द "सोलह हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6-ख का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 6-ख में शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6-ग का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 6-ग में शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "दो हजार पांच सौ" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ निभान सभा के भूतपूर्व सदस्यों को प्रदत्त सुविधाओं में कुछ सुधार की आवश्यकता है. अत: छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) में संशोधन प्रस्तावित है.

2 अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 29 मार्च, 2011

बृजमोहन अग्रवाल
संसदीय कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 2, 3 एवं 4 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष रुपये 2,85,36,000.00 (रुपये दो करोड़ पच्यासी लाख छत्तीस हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6-क (1), 6-ख एवं 6-ग का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 6-क (1) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने पांच वर्ष की कालावधि तक, चाहे वह कालावधि लगातार हो या न हो, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया हो, "दस हजार" रुपये प्रतिमास पेंशन दी जाएगी.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 6-ख किसी वर्तमान या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नि या उसके आश्रित यदि कोई हो, को ऐसे वर्तमान या भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु के दिनांक से दस वर्ष की कालावधि के लिए पेंशन रुपये "पांच हजार" प्रतिमाह दी जायेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 6-ग प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 6-क के अधीन पेंशन का हकदार है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के किसी दावे के लिये धारा 7 (2) के समरूप हकदार होगा और उसे "एक हजार पांच सौ" रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता भी दिया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.